ट्रंप के बयान को भारत ने खारिज किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जनवरी।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अफगानिस्तान को बदलने में विकास संबंधी सहयोग बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत वहां कई बड़ी निर्माण परियोजनाओं के साथ ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी लागू कर रहा है। अफगानिस्तान को इस तरह का सहयोग जारी रहेगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान संबंधी बयान को खारिज करते हुए ये बातें कही। ट्रंप ने युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में एक पुस्तकालय के वित्त पोषण को लेकर कहा कि युद्धग्रस्त देश में इसकी कोई जरूरत नहीं है। नए साल में अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में ट्रंप ने भारत, रूस, पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों से कहा कि वे सभी अफगानिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। ट्रंप ने दावा किया कि विश्व के नेता अपने योगदान का बखान कर रहे हैं, जबकि उनका योगदान अमेरिका की ओर से खर्च किए गए अरबों डॉलर के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता।

ट्रंप के बयानों को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में सामुदायिक विकास पहल के तहत भारत छोटे पुस्तकालय बनवा सकता है। अफगानिस्तान में भारत के अधिकतर निवेश बड़ी निर्माण परियोजनाओं में भी हैं, जिनमें जारंज से लेकर डेलारम तक 218 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना, सलमा बांध बनाना और अफगानिस्तान की संसद का नया भवन बनाना शामिल है। भारत युद्धपीड़ित अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।

पाक ने पंज तीरथ को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया

पेशावर, 3 जनवरी (भाषा)।

पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में खैबर पख्तुनवा प्रांत की सरकार ने पेशावर में स्थित प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंज तीरथ को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है। यहां स्थित पांच सरोवर के चलते इसका नाम पंज तीरथ पड़ा। इसके अलावा यहां मंदिर और खजूर के पेड़ों वाला उद्यान है।

अब विरासत स्थल के पांचों सरोवर चाचा युनूस पार्क और खैबर पख्तूनवा चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के दायरे में आते हैं। खैबर पख्तूनवा पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय द्वारा अधिसूचना जारी करके केपी एंटिक्वटीज एक्ट 2016 के तहत पंज तीरथ पार्क की भूमि को विरासत स्थल घोषित किया है। सरकार ने इसके साथ ही इस ऐतिहासिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर 20 लाख रुपए का जुर्माना और पांच साल तक की सजा की घोषणा की है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान का संबंध महाभारतकालीन राजा पांडू से है। वे इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे। हिंदू इन सरोवरों में स्नान करने के लिए कार्तिक के महीने में आते थे।

कंप्यूटर निगरानी मामले में जरूरत पड़ने पर करेंगे सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी भी कंप्यूटर प्रणाली से सूचनाएं निकालने, उनकी निगरानी और कूट भाषा का विश्लेषण करने के लिए 10 केंद्रीय एजंसियों को अधिकृत करने संबंधी सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आवश्यकता पड़ने पर सुनवाई की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी जनहित याचिका का उल्लेख करते हए इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

मनोहर लाल शर्मा पर इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित एक मामले को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने के मामले में शीर्ष अदालत ने 50 हजार रुपए का जुर्माना किया था। शर्मा ने जब कंप्यूटर की निगरानी के लिए अधिसूचना को चुनौती देने वाली अपनी जनहित याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया तो पीठ ने जानना चाहा कि क्या उन्होंने शीर्ष अदालत के सात दिसंबर के आदेश का पालन करते हुए 50 हजार रुपए जमा कराए।

शर्मा ने जब कहा कि उन्होंने यह रकम जमा करा दी है तो पीठ ने कहा- हम आवश्यकता पड़ने पर मामले को सूचीबद्ध करेंगे। शर्मा ने इस दौरान दावा किया कि बड़े पैमाने पर गैरकानूनी तरीके से कंप्यूटरों की निगरानी की जा रही है और इसके दायरे में न्यायपालिका के सदस्य और उनके परिजन व अन्य प्रमुख लोग हैं। सरकार की 20 दिसंबर की अधिसूचना के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत दस केंद्रीय एजंसियों को कंम्प्यूटर को इंटरसेप्ट करने और उसके विवरण का विश्लेषण करने के लिए अधिकृत किया गया है।

नए आदेश के तहत अधिसूचित 10 एजंसियों में खुफिया ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आय कर विभाग), राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजंसी, रॉ, सिग्नल खुफिया निदेशालय (जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम में सक्रिय) और दिल्ली के पुलिस आयुक्त शामिल हैं। शर्मा ने अपनी याचिका में सरकार की अधिसूचना को गैरकानूनी, असंवैधानिक और कानून के विपरीत बताया है। उन्होंने अदालत से इन जांच एजंसियों को इस अधिसूचना के आधार पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही, जांच या तफ्तीश करने से रोकने का अनुरोध किया है।

नई दिल्ली, 3 जनवरी।

राज्यसभा में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने गृह मंत्रालय के कंप्यूटर पर निगरानी रखने के लिए 10 एजंसियों को अधिकृत करने के गृह मंत्रालय के आदेश की निंदा करते हुए वापस लेने की मांग की।

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली, 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना

ओ.ए. नं. 263/2017 के मामले में
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आवेदक **बनाम** **श्री रविन्दर चौहान एवं अन्य** प्रतिवादी गण

डी-1	श्री रविन्दर चौहान (ऋणधारक एवं गारन्टर) आरजेड-85, भू तल, मैन डाबरी, एक्स्टें., पालम रोड, नई दिल्ली-110045 साथ हीः एजी-1/86-बी, एमआईजी फ्लैट्स, विकासपुरी, नई दिल्ली
डी-2	श्रीमती आशा रानी चौहान, पत्नी श्री रविन्दर सिंह चौहान (सह-ऋणधारक एवं गारन्टर) आरजेड-85, भू तल, मैन डाबरी, एक्स्टें., पालम रोड, नई दिल्ली-110045 साथ हीः एजी-1/86-बी, एमआईजी फ्लैट्स, विकासपुरी, नई दिल्ली

जैसा कि, ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि **19.1.2019 को 10.30 पूर्वा.** में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि इस उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 3 मार्च, 2018 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से,
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी-III, नई दिल्ली

ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LIMITED
CIN: L45101DL1967PLC004759
Regd. Off.: 115, Ansal Bhawan, 16, K. G. Marg, New Delhi - 110001
Tel: 23353550, 66302268/69/70/72, **Website:** www.ansalapi.com
Email id: shareholderservice@ansalapi.com

NOTICE
For the attention of Equity Shareholders of the Company

Notice is hereby given that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and its amendment Rules, 2017 dated the 05th September, 2016 and 28th February, 2017, respectively, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Company in the Demat Account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority {Authority} within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred to the IEPF as per the procedure mentioned in the said Rules.

This notice is for those Shareholders who have not encashed the dividend warrants for last seven consecutive years commencing from the financial year 2010-11 {unclaimed dividend of said financial year has already been transferred to IEPF} on the Equity shares of the Company held by them.

The Company has dispatched individual notice on the 26th December, 2018 at the latest available address of the concerned shareholders for the said purpose. The list containing the names of such shareholders and their folio no. or DP ID- Client ID has been uploaded on the website of the Company viz. www.ansalapi.com.

Shareholders are requested to make claim in respect of unpaid dividend on such shares on or before the 26th January, 2019 {except dividend which has been transferred to IEPF} by submitting written application along with a self-attested copy of PAN card, copy of cancelled cheque and the original uncashed dividend warrant to M/s Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH- 2, C-1 Block LSC, Near Savitri market, Janakpuri, New Delhi-110058, Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) or at the Registered Office of the Company failing which the Company shall transfer/credit your shares to Demat account of the Authority latest by the 26th February, 2019. Further in terms of the said Rules all benefits accruing on such shares viz. Bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc. except the right issue shall also be credited to such Demat account.

Please note that any claimant whose shares are liable to be transferred to Demat Account of the Authority can claim those shares in accordance with the procedure laid down under the said Rules.

In case shareholders have any query/clarification they may contact M/s. Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH- 2, C-1 Block LSC, Near Savitri market, Janakpuri, New Delhi-110058, Email id: delhi@linkintime.co.in, Telephone No.: 011 - 41410592/93/94 or at above mentioned Registered Office of the Company or contact us at Telephone No.: 9871055419.

For Ansal Properties & Infrastructure Limited
Sd/-
(Abdul Sami)
Company Secretary
FCS -7135

Date: 03-01-2019
Place: New Delhi

DCM LIMITED
CIN : L74899DL1889PLC000004
Regd. Office: 6th Floor, Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi-110 008

Notice is hereby given that the Certificate(s) for the under mentioned Equity Shares of the Company of F.V Rs. 10 Each have been lost / misplaced and the holder(s) / purchaser(s) of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate(s). Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the Company at its Registered Office within 15 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) to the aforesaid applicants without any further intimation.

NAME OF THE SHAREHOLDER/S	CERTIFICATE NOS.	DISTINCTIVE NOS.
Folio: - W00022480, Shares: - 1500		
Madhu Arora + Rishi Arora	100145528-55557	13436948-13438447
Folio: - W00022481, Shares: - 1550		
Manish Pal Arora + Madhu Arora	100145448-450, 100145501-527, 100330579	13432948-13433097 (150 Shares) 13435598-13436947 (1350 Shares) 8792668-8792717(50 Shares)
Folio:-W0005438, Shares: - 650		
Dharam Pal Arora (Deceased) + Manish Pal Arora	100310770-782	13259510-13260159
Folio: - D0003020, Shares:-91		
Dharam Pal Arora (Late)	100019889-90, 100153997-100154000	643586-643663 (78 Shares) 12874695 -12874707 (13 Shares)
Folio:- D0002650, Shares :-43		
Dharam Pal Arora (Late)	100019489	627019-627061

[Name of Shareholder(s)]
Manish Pal Arora, Rishi Arora, Madhu Arora and For LATE DHARAM PAL ARORA

Dated: 04/01/2019

भारतीय स्टेट बैंक
तनाव ग्रस्त आस्ति वसूली शाखा दूसरा तल, अजीत कॉम्पलैक्स सहारनपुर रोड, देहरादून-248001
फोन: 0135-2720081] 2720082 मो. 9650486279 ई-मेल sbi.611069@sbi.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंक को प्रभारित अचल संपत्तियों की बिक्री भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित संमत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित मामलों में प्रभारित संपत्तियों की ई-नीलामी (सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन) "जहां है जैसी है" के आधार पर आयोजित की जाएगी

क्र सं.	ऋणी का नाम	जमानतदार का नाम	बकाया राशि जिसकी वसूली के लिये संपत्ति बेची जा रही है	संपत्ति का विवरण	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय	आरक्षित मूल्य (₹ लाख में)
1.	बीम्स फ्लैश लाईट प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय 15 बी राजपुर रोड, देहरादून	1. श्री सुनील लालवानी 2. श्रीमती ग्रीटा लालवानी दोनो निवासी 284 बसन्त विहार, फेज1, देहरादून	₹ 46765039.81 की डिमांड नोटिस के अनुसार ब्याज और आकस्मिक व्यय और लागत दिनांक 30.12.2014	A) फैक्टरी भूमि एवं भवन ई- 27 सेलाकुई इण्डस्ट्रियल एरिया, चकराता रोड़, देहरादून क्षेत्रफल 1800 वर्गमीटर	21.01.2019 समय प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक	₹155 लाख
2.	मै0 लक्ष्मी ऑटो इंजीनियरिंग मालिक श्री आर.वी. अरावत	–	₹ 43991147.00 + अन्य लागत व आगामी ब्याज जो कि मांग पत्र की दिनांक 31.08.2015 के अनुसार	फैक्ट्री भूमि और इमारत का प्लॉट न0 14, सैक्टर-7, आईआईई, सिडकुल, पंत नगर, जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) जो क्षेत्रफल 1500 वर्ग मी0 है।	21.01.2019 को 11:30 बजे सुबह से दोपहर 1:30 बजें तक	₹122 लाख

धरोहर राशि जमा लाख में	बोली वृद्धि धरोहर राशि (लाख में)	भाग लेने हेतु प्रार्थना पत्र/केवाईसी प्रपत्र/धरोहर राशि जमा का साक्ष्य, इत्यादी जमा कराने की दिनांक एवं समय
आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत	₹0.50 लाख	दिनांक 19.01.2019 को सायं 05:00 बजे तक या उससे पहले

1. सम्पत्ति के निरीक्षण की दिनांक व समय प्रातः 17.01.2019 को प्रातः 11:30 बजे से 4:00 बजे तक। शाखा का सम्पर्क मों नं 8527817778, 9650486279
2. ई- नीलामी "जहां है जैसी है" तथा "जो है जैसी है" के आधार पर ऑनलाईन आयोजित कि जाएगी। नीलमी बैंक द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई- प्रोक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद टोल फी न0 1800 103 5342, वाट्सअप नं 9374519724 सम्पर्क संख्या 079-40230833/832 सम्पर्क सूत्र श्री कुशल कोठारी मो. नं. 8980690773 ई मेल-delhi@auctiontiger.net श्री नितीश झा मो.नं. 8800896847, फैक्स नं. 079-40230847 के माध्यम से वेब पोर्टल https://sbi.auctiontiger.net/ ऑक्शन टाइगर मोबाईल एप पर भी आयोजित की जाएगी। ई- नीलामी निविदा दस्तावेज में ऑनलाईन नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा प्रपत्र,ऑनलाईन नीलामी बिक्री की सामान्य नियम व शर्तें शामिल होंगी तथा ऑनलाईन नीलामी की बिक्री की शर्तें https://sbi.auctiontiger.net पर भी उपलब्ध है।
3. इच्छुक क्रेता एवं बोलीदाता को धरोहर राशि या तो एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा खाता संख्या 4897932611097 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, एस.ए.आर.बी देहरादून, IFSC Code SBIN0061109 में या फिर पे-ऑर्डर/डीडी के द्वारा देहरादून पर देय "प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तनाव प्रस्त आस्ति वसूली शाखा, देहरादून" के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित जमा करवाना आवश्यक है।
4. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सपत्ति पर कोई अन्य ऋणभार नही है फिर भी इच्छुक बोलीदाता नीलाम की जाने वाली संपत्ति पर प्रभार, शीर्षक एवं दावे/अधिकारी/बकाया जो संपत्ति से संबंधित है अपनी बोली जमा कराने से पूर्व व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र जानकारी प्राप्त कर लेवें। ई-नीलामी विज्ञापन किसी प्रकार का कोई गठन नहीं है तथा बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं रखता है और ना ही ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। संपत्ति बैंक को वर्तमान एवं भविष्य के समस्त ज्ञात एवं अज्ञात ऋणभारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।
5. बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रस्तावित नियमों एवं शर्तों के अनुसार की जाएगी।

ई-नीलामी की अन्य नियम व शर्तें निम्नलिखित वेबसाईटों पर प्रकाशित की गई है। http//www.sbi.co.in, http://tenders.gov.in, http://bankeauctions.com, www.magicbricks.com, delhi@auctiontiger.net, https://sbi.auctiontiger.net

सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

उधारकर्ताओं/जमानतदाताओं को एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता हे कि उपरोक्त वर्णित राशि, अदयतन ब्याज और खर्चों सहित, का भुगतान ई-नीलामी की दिनांक से पूर्व करे अन्यथा उक्त सम्पत्ति को नीलामी द्वारा बेच दिया जाएगा और शेष देय राशि यदि कोई है तो, ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जाएगी।

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक
तनावग्रस्त वसूली शाखा, देहरादून

दिनांक 04.01.2019 स्थान देहरादून

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
प्राईमरोज इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

क्रम सं.	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	प्राईमरोज इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	3 मई, 2011
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा, नई दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U70101DL2011PTC218515
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	एमसीए के अनुसार पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं. 251-बी, प्रथम तल, एलआईजी फ्लैट्स, पॉकेट-12, जसोला, नई दिल्ली-110025
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	21 दिसम्बर, 2018 ऑपरेशनल क्रेडीटर से 2 जनवरी, 2019 को मुझे सूचना प्राप्त हुई
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	20 जून, 2019 जो कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरु होने की तिथि से 180 दिन है।
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	सीए अनिल मट्टा आईपी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00223/2017-18/10422
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेलः	पताः मट्टा एंड एसोसिएट्स चार्टड एकाउन्टैन्ट्स 308, आरजी ट्रेड टावर, प्लॉट नं. बी-7, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ईमेलः mattaassociates@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल, यदि क्रम सं. 9 में दिये गये पते से अलग हो	जैसा कि ऊपर है
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	17 जनवरी, 2019 (माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ-II से आईआरपी द्वारा कॉर्पोरेट इन्साल्वैन्सी रिजॉल्यूशन प्रॉसेस के शुरू होने की आदेश की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन)
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	इस तिथि तक सुनिश्चित नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	इस तिथि तक सुनिश्चित नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा	वेबलिंक (http://ibbi.gov.in/downloadform.html) भौतिक पताः मट्टा एंड एसोसिएट्स 308, आरजी ट्रेड टावर, प्लॉट नं. बी-7, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ईमेलः mattaassociates@gmail.com
	(ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-II ने 21 दिसम्बर, 2018 को प्राईमरोज इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा प्राईमरोज इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 18.12.2018 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर (लागू नहीं) प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये (वर्ग निर्दिष्ट करें) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं

संबंधित दावा प्रपत्र आईबीबीआई की वेबसाईट (https://ibbi.gov.in/ download-form.html) से डाउनलोड की जा सकती है।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

स्थानः नई दिल्ली **हस्ता/-**
तिथिः 2 जनवरी, 2019 **सी ए अनिल मट्टा**
IBBI/IPA-001/IP-P00223/2017-18/10422